संख्या- 42/2019/672/छप्पन-2019-31/2016

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2019

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 711/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि रु0 2,75,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु स्वीकृत करने तथा उक्त धनराशि को कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा लेखाषीर्शक ''8443-सिविल डिपाजिट'' में जमा करने हेतु भी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि रु0 2,75,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 रु0 2,75,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु किया जाएगा।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 2,75,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) आहरित कर तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा उक्त धनराशि लेखाशीर्षक "8443-सिविल डिपाजिट" में रखी जाएगी तथा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-265/दस-2019, दिनांक 26 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 42/2019/672(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- मण्डलायुक्त, मेरठ।
5- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
11- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
13- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
14- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।